

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (विचारीदण्ड)

(निष्ठम 26)

मदनलाल

मुकाम

बनाम

डालचन्द

सं.

सं.

128 CRA

109/2018

सारांश
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अह
हुक

18-5-18



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.
का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज
किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन
किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई।
तहसिलदार बड़ीसादड़ी को कमीशनर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि

मौजा करीली
की
आद 804 लबा 0-99 ई. की
विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों
की मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 1000/-
कसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।
पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर
फैसल पुनार होकर नम्बर से कम हों।